

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर**  
 क्रमांक:—ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/12/ दिनांक:—

**आदेश**

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/12/938 दिनांक 18.12.12 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० सं० | नाम कर्मचारी                | वर्तमान पदस्थापन स्थान                         | पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान                         |
|----------|-----------------------------|--|--|
| 1        | श्री हरिदास पिल्लई          | टी0बी0 क्लीनिक सीकर                            | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर          |
| 2        | श्री हीरालाल मीणा           | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरौही    | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरौही        |
| 3        | श्री रामाराम राणा           | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरौही    | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरौही        |
| 4        | श्री राजेन्द्र कुमार रामावत | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर    | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर        |
| 5        | श्रीमती मंजुला चौहान        | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर     | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर         |
| 6        | श्री ज्ञानेश बावेजा         | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सीकर                   | अति0मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प0क0 सीकर |
| 7        | श्री राजकुमार जैन           | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़     |
| 8        | श्री रामचन्द्र मीणा         | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़, जयपुर  | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय |
| 9        | श्री सरदार सिंह मीणा        | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालाखेडा अलवर      | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर          |

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 11.3.13 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

१०


अति० निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
 राज० जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/12/153

दिनांक:- 22/2/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- प्रभारी सर्वर रूम ,मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।



अति0 निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर